अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	14,943.75	16,414.27	20,758.12	25.377.05	30,502.65
	• कर इतर राजस्व	3,888.46	4,558.22	6,294.12	9,175.10	12,133.59
	योग	**18,832.21**	**20,972.49**	**27,052.24**	**34,552.15**	**42,636.24**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	8,998.47	9,258.13	12,855.63	14,977.05	17,102.85
	• सहायतार्थ अनुदान	5,638.17	5,154.39	6,020.33	7,481.56	7,173.92
	योग	**14,636.64**	**14,412.52**	**18,875.96**	**22,458.61**	**24,276.77**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ** (1 और 2)	**33,468.85**	**35,385.01**	**45,928.20**	**57,010.76**	**66,913.01**[1]
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**56**	**59**	**59**	**61**	**64**

[1] ब्यौरे के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों मे राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 42,636.24 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 64 प्रतिशत रहा। शेष 36 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त हुई थी।

1.1.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व का वर्णन करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2012-13 में 2011-12 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	8,442.02	9,681.38	11,901.24	14,665.63	17,214.34	(+) 17
	केन्द्रीय बिक्री कर	462.48	482.15	728.35	1,100.80	1,360.31	(+) 24
2.	राज्य आबकारी शुल्क	2,169.90	2,300.48	2,861.41	3,287.05	3,987.83	(+) 21
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	30.61	30.47	43.07	79.40	144.27	(+) 82
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	1,137.54	1,104.79	1,522.01	2,153.68	2,693.13	(+) 25
	पंजीयन शुल्क	188.48	227.68	375.96	418.29	497.47	(+) 19
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	654.05	699.99	905.81	1,094.48	1,570.06	(+) 43
5.	मोटर वाहनों पर कर	1,213.56	1,372.87	1,612.25	1,927.05	2,283.13	(+) 18
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	189.87	176.10	230.69	220.13	248.57	(+) 13
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	0.04	0.04	0.02	0.06	0.19	(+) 217
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	64.52	58.52	64.43	43.44	48.47	(+) 12
9.	भू-राजस्व	162.52	147.66	222.17	209.01	304.55	(+) 46
10.	अन्य कर	228.16	132.14	290.71	178.03	150.33	(-) 16
योग		**14,943.75**	**16,414.27**	**20,758.12**	**25,377.05**	**30,502.65**	(+) 20

सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में रहे अन्तर के निम्न कारण बताये:

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर: सघन अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों तथा कुछ वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि के कारण वृद्धि (17 प्रतिशत) हुई।

केन्द्रीय बिक्री कर: सघन अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों के कारण वृद्धि (24 प्रतिशत) हुई।

राज्य आबकारी शुल्क: वृद्धि (21 प्रतिशत) मुख्यत: माल्ट मदिरा, विदेशी मदिरा तथा प्रासव की बिक्री गारन्टी राशि तथा अनुज्ञा शुल्क की वृद्धि एवं आबकारी निरोधक दल की प्रभावी सक्रियता से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क: गैर न्यायिक मुद्रांक की अधिक बिक्री, पंजीयन होने वाले दस्तावेजों की पंजीयन फीस तथा कोर्ट फीस एवं जिला स्तरीय समिति की दरों में वृद्धि के कारण वृद्धि (26 प्रतिशत) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (43 प्रतिशत) हुई।

मोटर वाहनों पर कर: कर, अधिभार, हरित कर से अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (18 प्रतिशत) हुई।

माल एवं यात्रियों पर कर: माल के प्रवेश पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (13 प्रतिशत) रही।

1.1.3 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये कर-इतर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2012-13 में 2011-12 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,195.96	1,185.45	1,276.70	1,714.53	2,067.00	(+) 21
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	57.74	56.35	93.20	74.95	91.24	(+) 22
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1,275.59	1,612.26	1,929.58	2,366.32	2,838.59	(+) 20
4.	विविध सामान्य सेवाएं	580.33	739.30	271.19	353.09	686.10	(+) 94
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	54.16	48.83	86.04	91.83	87.21	(-) 5
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	36.87	56.55	45.46	59.38	96.04	(+) 62
7.	सहकारिता	18.13	21.03	16.35	22.38	22.02	(-) 2
8.	सार्वजनिक निर्माण	93.43	62.75	62.10	55.85	57.63	(+) 3
9.	पुलिस	71.43	126.24	133.93	143.54	192.07	(+) 34
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	49.57	49.12	80.33	110.99	85.50	(-) 23
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	455.25	600.34	2,299.24	4,182.24	5,910.19	(+) 41
	योग	**3,888.46**	**4,558.22**	**6,294.12**	**9,175.10**	**12,133.59**	(+) **32**

सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में रहे अन्तर के निम्न कारण बताये:

ब्याज प्राप्तियां: नगद शेष के निवेश पर अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण (21 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

वानिकी एवं वन्य जीवन: वानिकी व वन्य जीवन, वानिकी उत्पादों व इमारती लकड़ी की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण (22 प्रतिशत) वृद्धि रही।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: कर्मचारी राज्य बीमा योजना व अन्य प्राप्तियों से अधिक प्राप्तियों के कारण (62 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

पुलिस: मुख्यत: अन्य सरकारी पक्षों को पुलिस कार्मिक उपलब्ध कराने से प्राप्त प्राप्तियों, अन्य प्राप्तियों व राज्य मुख्यालय की प्राप्तियों में अधिक प्राप्ति के कारण (34 प्रतिशत) वृद्धि रही।

बाकी शीर्षों में रहे अन्तर के कारण विभागों से मांगने (अप्रेल/जून 2013) के उपरान्त भी दिसम्बर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए।

1.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रख-रखाव का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की नमूना जाँच के लिए महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं जो निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिलिपि भेजते हुए जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

1.2.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

31 दिसम्बर 2012 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 2,882 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 7,731.42 करोड़ राशि के 9,489 अनुच्छेद जून 2013 के अन्त तक बकाया थे, बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों का विवरण, विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	जून 2011	जून 2012	जून 2013
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,469	2,628	2,882
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	7,464	8,260	9,489
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	2,748.76	5,958.95	7,731.42

30 जून 2013 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागानुसार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	554	2,577	3,229.46
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	27	33	7.29
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	424	1,490	204.37
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	259	539	1,157.25
		भूमि एवं भवन कर	8	12	0.50
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,183	3,156	145.28
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	156	349	325.58
6.	खान एवं भू-विज्ञान, पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	271	1,333	2,661.69
योग			**2,882**	**9,489**	**7,731.42**

निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होने वाली प्रथम अनुपालना दिसम्बर 2012 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 80 प्रतिवेदनों में प्राप्त नहीं हुई थी (30 जून 2013)। बड़ी संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य का सूचक है कि महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी कमियों, त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने की कार्यवाही कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रारम्भ नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा आक्षेपों पर शीघ्र एवं समुचित कार्यवाही करने हेतु एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार उचित कदम उठाये तथा इसके साथ-साथ उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें जो निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में विफल रहे तथा राजस्व हानि/बकाया की वसूली के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करने में भी विफल रहे।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी एवं शीघ्र प्रगति के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[2] का गठन किया है। विभाग द्वारा एक वर्ष में कम से कम चार (प्रत्येक तिमाही में एक) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी होती हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु विभाग में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्यिक कर	2	1	–	–
परिवहन	3	6	57	2.77
भू-राजस्व	–	6	–	–
पंजीयन एवं मुद्रांक	2	13	126	1.40
राज्य आबकारी	3	4	80	7.21
खान एवं भू-विज्ञान, पेट्रोलियम	1	–	–	–
योग	**11**	**30**	**263**	**11.38**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि अपेक्षित लेखापरीक्षा समितियों की 24 बैठकों के विरूद्ध केवल 11 बैठकें ही आयोजित की गई।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की क्रियाविधि को सुदृढ़ करें और लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की संख्या में वृद्धि हेतु निर्देश जारी करने चाहिए।

1.2.3 विभागों का उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर, उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। प्रारूप अनुच्छेद सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह

[2] राजस्थान सरकार के परिपत्र सं. 1/2005 दिनांक 18.1.2005 के अनुसार लेखापरीक्षा समितियों में, अन्य के साथ सम्बन्धित विभागों के सचिव व महालेखाकार/उसके प्रतिनिधि शामिल होते है। इसके अतिरिक्त विभागों के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी किया गया है।

अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर निर्धारित अवधि में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित 'वाणिज्य कर विभाग में बकाया की वसूली' व 'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 52 ड्राफ्ट पैरा (इस प्रतिवेदन के 39 अनुच्छेदों में संकलित) सम्बन्धित विभागों के सचिवों को सितम्बर एवं दिसम्बर 2013 के मध्य प्रेषित किये गये थे। इन में से 50 ड्राफ्ट पैराओं के उत्तर प्राप्त हुए जिनमें 68 प्रकरण समाहित थे। इसके अतिरिक्त 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' व 'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर समापन सम्मेलनों में सम्बन्धित विभागों/सरकार से चर्चा की गई।

1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये तथा 31 दिसम्बर 2013 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति **परिशिष्ट 'अ'** में दर्शायी गई हैं। वर्ष 2005-06 से 2011-12 की अवधि से सम्बन्धित कुल मिलाकर 99 अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर उन पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। हमने पाया कि **परिशिष्ट 'ब'** में दर्शायी 251 क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां 31 दिसम्बर 2013 को बकाया थी।

1.2.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित, स्वीकार किए गए अनुच्छेदों तथा 31 दिसम्बर 2013 तक वसूल की गई राशि की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि[3]	31 दिसम्बर 2013 तक कुल वसूली
2002-03	46	382.52	36	220.03	शून्य	62.83
2003-04	31	381.48	30	234.77	शून्य	49.52
2004-05	27	276.63	23	16.14	शून्य	6.15
2005-06	39	352.81	27	118.93	शून्य	23.28
2006-07	41	315.25	25	254.28	शून्य	6.60
2007-08	39	666.55	34	247.33	0.51	99.70
2008-09	48	392.71	35	72.25	1.78	23.63
2009-10	28	638.85	21	432.30	5.76	22.89
2010-11	32	617.96	21	341.98	2.97	10.66
2011-12	43	763.52	31	405.06	15.88	15.88
योग	**374**	**4,788.28**	**283**	**2,343.07**	**26.90**	**321.14**

वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान ₹ 4,788.28 करोड़ सन्निहित राशि के 374 अनुच्छेद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित थे। सरकार/विभागों ने ₹ 2,343.07 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से केवल ₹ 321.14 करोड़ (13.70 प्रतिशत) ही 31 दिसम्बर 2013 तक वसूल किये गये।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वीकार किये गये अनुच्छेदों में सन्निहित राशि की पूर्ण वसूली हो सके।

1.3 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के अलावा सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण

[3] जनवरी, 2013 से दिसम्बर 2013

बिन्दुओं जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टता, गत पाँच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कुल 761 इकाइयों में से 382 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनायी तथा 380 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। शेष दो इकाईयों की लेखापरीक्षा (मार्च 2013 तक) निवेदन के उपरान्त भी रिकार्ड उपलब्ध न कराने के कारण सम्पन्न नहीं की जा सकी। अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त दो निष्पादन लेखापरीक्षा, विभागों की दक्षता तथा कार्यप्रणाली/प्रक्रिया जाँचने के लिए की गई थी।

1.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.4.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 380 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच में 37,959 प्रकरणों में ₹ 2,286.17 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 598.39 करोड़ के 23,519 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 217.42 करोड़ सन्निहित राशि के 11,973 प्रकरण वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2012-13 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 5,876 प्रकरणों में ₹ 73.07 करोड़ वसूल किये।

1.4.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 586.49 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 39 अनुच्छेद (इनकी पहचान उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा के दौरान की गई या पूर्व के वर्षों में की गई किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके थे) समाहित हैं जिनमें 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' व 'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनमें सन्निहित राशि ₹ 369.02 करोड़ है, शामिल है। विभाग/सरकार ने ₹ 87.57 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 11.30 करोड़ वसूल कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2013)। इन पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गई है।